

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

निविदा विज्ञापित सं०- 5645/तीस-म (2019-2020) दिनांक : गोपेश्वर : 23 मई 2020

!! अल्पकालीन निविदा सूचना !!

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-137/VII-A-1/2020/90ख/16 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 में निहित प्राविधानानुसार जनपद चमोली तहसील घाट चुफलागाढ नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल, जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में आर०बी०एम० जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान-माल व आवादी को क्षति होने की सम्भावना के दृष्टिगत निम्नांकित चिन्हित स्थलों से सिल्ट/उप खनिज, आर०बी०एम० हटाने के लिए उप जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में खुली नीलामी (Open Auction) प्रणाली के माध्यम से आवंटन हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

सीलबन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक, समय एवं स्थान
दिनांक 05.06.2020, समय : 5:00 बजे अपराह्न तक, स्थान उप जिलाधिकारी, कार्यालय, चमोली सीलबन्द लिफाफे में निविदा खोले जाने का स्थान, दिनांक 06.06.2020 समय 3:30 बजे अपराह्न स्थान-उप जिलाधिकारी कार्यालय, चमोली।

क्षेत्र का विवरण

क्र० सं०	आर०बी०एम० क्षेत्र का नाम	खसरा सं०	खनन लॉट का क्षेत्रफल (है०में)	निर्धारित मात्रा प्रतिवर्ष	आधार मूल्य (रु०में)	बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी रु० में) (आधार मूल्य का 25%)	हैसियत (आधार मूल्य का 10%)	निविदा प्रपत्र
1	लांखी (धिंघराण तोक)	5663	रकवा 0.520 है०	11440 टन (5200घनमीटर)	4,68,648.00	1,17,117.00	46,847.00	5000.00

निविदादाता क्षेत्र की निविदा डाले जाने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर आर०बी०एम० क्षेत्र की स्थिति तथा खनिज के सम्बन्ध में जानकारियों से अपने का आश्वस्त कर लें।

निविदा प्रपत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण जिला कार्यालय चमोली के कक्ष सं०-10 एवं खान अधिकारी, चमोली के कार्यालय में प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा chamoli.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(स्वाति एस०भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को न्यूनतम स्थान पद दो दैनिक समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र को अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
- 2- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को nic.nic.in की वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 3- उप जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि अपनी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5- सहायक अभियन्ता, सिचाई, खण्ड, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

एम0एम0-17

(नियम-27-क)

प्रपत्र-I (निविदा प्रारूप)

रिवर ट्रेनिंग क्षेत्र का नाम -

1	रिवर ट्रेनिंग क्षेत्र का विवरण - खसरा सं० क्षेत्रफल है० में	
2	तहसील	
3	जिला	
4	उपखनिज (आर०बी०एम/मलवा)	
5	आधार मात्रा आधार मूल्य (अंकों में) (शब्दों में)	
6	निविदाकार का नाम	
	(1)निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम/पति का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नम्बर	
	मोबाइल नम्बर	
	पै० कार्ड नं०-	
	जी०एस०टी०नं०-	
7	(1) आवेदक पत्र का शुल्क रू०, 5,000.00 ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक	
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण:- धनराशि (अंकों) बैंक का नाम बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	
9	शपथ पत्रों का विवरण (सूची पृथक से संलग्न करें)	
10	अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र	
11	ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र	
12	मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही व सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा, उसको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे द्वारा निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी है और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर

रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के अन्तर्गत आर0बी0एम0/मलवा निस्तारण हेतु खुली नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु शर्तें :-

- 1- आर0बी0एम0 का चुगान समान रूप से समान गहराई तक इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से किया जाय कि नदी मध्य भूभाग से प्रवाहित हो सकें।
- 2- आर0बी0एम0 के परिवहन हेतु मार्ग आदि की व्यवस्था स्वयं आवेदक द्वारा की जानी होगी।
- 3- स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, राजस्व विभाग व वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना होगा।
- 4- शासनादेश संख्या-137/VII-A-1/2020-90ख/2016 दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा प्रख्यापित रिवर ट्रेनिंग नीति -2020 एवं संख्या: 944/VII-1/2018-90ख/16 दिनांक 13 अप्रैल 2018 में दिये गये प्राविधानों/नियमों का पालन किया जाना होगा।
- 5- आर0बी0एम0 को हटाने किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 6- आर0बी0एम0 हटाने का कार्य सर्वोदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।
- 7- हटाये गये आर0बी0एम0 का विवरण प्रत्येक माह राजस्व विभाग एवं खनन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 8- आर0बी0एम0 की निकासी इस नीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रातिकूल प्रभाव न पड़े।
- 9- नियति तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी चमोली के पास सुरक्षित होगा।
- 11- उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जानी होगी।
- 12- उच्चतम बोलीदाता को रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।
- 13- नीलामी में प्रतिभाग करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14- नीलामी में प्रतिभाग करने वाले आवेदक को अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
- 15- नीलामी में प्रतिभाग करने वाले आवेदक को जी0एस0टी0न0प्रस्तुत करना होगा।
- 16- नीलामी में प्रतिभाग करने वाले आवेदक को ब्लेक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।